न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : रामचन्द्र खटीक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 58/2023 प्रा.पत्र

अन्तर्गत

1- कमला पुत्री लेहरू जी जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2- पप्पूलाल पिता लेहरू जी जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. लक्ष्मण पिता लेहरू जी जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4- संतोष पुत्री लेहरू जी जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

— प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

— विपक्षी

कार्यवाही : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) RSCA
उपस्थिति : 1- श्री कुमराज कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2- पेशकार जरमा लिव रिजर्व नाo तहसीलदार

निर्णय दिनांक 22/03/2023

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा विरुद्ध विपक्षी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(1) RSCA इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का शोला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramchandra Khatik
Date: 2023.08.02 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

तहसील चित्तौड़गढ़ मे आराजी नम्बर 350, 352, 353, 355, 361, 363 क्रमशः रकबा 0.30, 0.86, 0.33, 0.74, 0.32, 1.23 कुल बीघा 6 कुल रकबा 3.78 है० भूमि पर आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित आराजी संख्या 476 रकबा 0.76 मे होता हुआ आराजी संख्या 357 के दक्षिण एवं 356 के पश्चिम मे होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी संख्या 350 मे पहुंचता है। इसके बाद 350 से अन्य आराजीयात मे प्रार्थीगण आते जाते रहे है। प्रार्थीगण की आराजीयात मे जाने का एक मात्र रास्ता गांव से रेकार्डेड रास्ता आराजी संख्या 476 से आराजी संख्या 357 मे होता हुआ पहुंचता है। जिससे रास्ता आराजी संख्या 476 से आराजी संख्या 350 तक 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे उक्त रास्ता पूर्वजों के समय से उपयोग उपभोग मे आ रहा है, जो एक मात्र रास्ता होकर और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। रास्ता हेतु डीएलसी रेट अनुसार जो भी राशि बनेगी उसे प्रार्थीगण राज्य कोष मे जमा कराने को तैयार है। रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है अतः रास्ता दिलाए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिए नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम दौलतपुरा की आराजी नम्बर 350, 352, 353, 355, 361, 363, 38 कुल बीघा 6 रकबा 3.78 है० भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है [illegible] अनुसार आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramchandra Khatik
Date: 2023.08.02 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

संख्या 350, 352, 353, 355, 361, 363 कीता 6 रकबा 3.78 हे० प्रार्थीगण ग्राम दौलतपुरा से लगभग 200 मीटर की दूरी पर राजस्व रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 476 रकबा 0.36 हे० मे से होते हुए बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 357 रकबा 1.05 हे० मे से होते हुए सबसे नजदीक पडने वाली आराजी संख्या 350 खातेदारी भूमि पर आते जाते है एवं मौके पर 20 फीट चौडा रास्ता बना होकर खातेदार द्वारा सालों से उपयोग मे लिया जा रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 350 से बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 357 से रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर ~~476~~ 476 तक पहुंच मार्ग जो मौके पर बना है उसके मुताबिक प्रार्थीगण को 6 मीटर चौडा एवं 40 मीटर लम्बा रास्ता यानि 6 × 40 = 240 वर्गमीटर (0.024 हे०) रास्ता देना नियमानुसार उचित है। मौका एवं रेकार्ड अनुसार और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है एवं खातेदारी भूमि के यह पास का रास्ता है। बिलानाम भूमि से चाहे गए रास्ते 240 वर्गमीटर की कीमत डी.एल.सी. के दुगुना करने पर 64,300.00 रूपए राजकोष मे जमा योग्य है। बहस प्रकरण सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन / अध्ययन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण मे प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा जा रहा रास्ता सबसे सुगम है एवं प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजीयात पर जाने-आने के लिए और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट उचित एवं स्पष्ट है। अतः हस्तब रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramchandra Khatik
Date: 2023.08.02 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का सेमलाहेड़ा तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी संख्या 350,352,353,355,361,363 कीता 6 रकबा 3.78 हे. भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करने बाबत ग्राम दौलतपुरा की बिलानाम आराजी संख्या 357 रकबा 1.05 हे. मे से 240 वर्गमीटर (0.024 हे.) भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुना राशि 64,300.00 रुपए राज्य कोष मे जमा कराए जाने पर आराजी नम्बर 357 रकबा 1.05 हे. मे से 240 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थीगण को आदेश दिए जाते है कि 64300.00 रुपए राज्य कोष मे जमा कराने हेतु उक्त राशि का तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के नाम का ड्राफ्ट बनवाया जाकर प्रस्तुत करें।

उक्तानुसार ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर राज्य कोष मे जमा कराने हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा - जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, की प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न प्रेषित कर लिखा जावे कि राशि 64300.00 रुपए राजकोष मे जमा कराने के पश्चात, प्रस्तावित रास्ते की भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज कर, मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड मे तरमीम किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramchandra Khatik
Date: 2023.08.02 12:04:05 IST
Reason: SelfAttested

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़